

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1595 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिधि / 2026

रायपुर, दिनांक / 30 सितम्बर 2026

// सूचना //

// नीट यूजी प्रवेश वर्ष 2026 की राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के तृतीय चरण हेतु एनआरआई पात्रता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में। //

चिकित्सा परामर्श समिति (Medical Counselling Committee), भारत सरकार द्वारा जारी नोटिस क्रमांक U-11011/07/2025-MEC, दिनांक 27.05.2026 में एनआरआई कोटे की पात्रता के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 के नियम-13 के अनुसार, नीट यूजी प्रवेश वर्ष 2026 की राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के **तृतीय चरण** हेतु एनआरआई कोटे के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे एनआरआई पात्रता के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज **दिनांक 01.10.2026 प्रातः 11:00 बजे से 07.10.2026 सायं 05:00 बजे तक अधिकृत ई-मेल आईडी cgneetugnri2026@gmail.com** पर एनआरआई पात्रता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों (Original) दस्तावेजों की स्पष्ट, पठनीय एवं रंगीन (Colour Scanned) प्रतियों को क्रमवार संलग्न करते हुए एक ही (Single) PDF फाइल में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ब्लैक एंड व्हाइट (Black & White) अथवा अपठनीय दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ई-मेल के विषय (Subject) में "NEET UG 2026 – NRI Quota Document Verification – Candidate Name – NEET Roll Number" अंकित करना अनिवार्य होगा।

एनआरआई पात्रता हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची **संलग्नक-1** में दी गई है। प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों का परीक्षण गठित समिति द्वारा प्रचलित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

केवल पात्र (Eligible) पाए गए अभ्यर्थियों को ही एनआरआई कोटे के अंतर्गत सीट का आवंटन किया जाएगा। एनआरआई कोटे हेतु अपात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को एनआरआई कोटे के अंतर्गत सीट का आवंटन नहीं किया जाएगा। तथापि, उनका आवेदन निरस्त नहीं होगा तथा वे अपनी अन्य पात्र श्रेणी के अनुसार काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित रहेंगे।

एनआरआई कोटे के अभ्यर्थियों हेतु पृथक पंजीयन अथवा पृथक चॉइस फिलिंग नहीं की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सामान्य ऑनलाइन पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा।

प्रवेश के समय ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा। गलत, अपूर्ण अथवा भ्रामक दस्तावेज पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

R. N. S.
30/09/26
अध्यक्ष,

काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

एनआरआई पात्रता हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची।

- अभ्यर्थी एवं एनआरआई के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु वंशावली/परिवार वृक्ष प्रमाण-पत्र, जो तहसीलदार अथवा उससे उच्च सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- एनआरआई का पासपोर्ट (स्वप्रमाणित प्रति)।
- एनआरआई की विदेश में निवास की स्थिति स्थापित करने वाले दस्तावेज, जैसे- वैध वीजा, ग्रीन कार्ड, नागरिकता प्रमाण-पत्र, विदेश में निवास/कार्य का प्रमाण अथवा अन्य वैध दस्तावेज (जो लागू हो)।
- ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड, यदि लागू हो।
- एनआरआई/एनआरई/समकक्ष बैंक खाते की विवरणी (Bank Statement), यदि लागू हो।
- वर्क परमिट/ग्रीन कार्ड, यदि लागू हो।
- वैध संरक्षक (Legal Guardian) संबंधी दस्तावेज/साक्ष्य, यदि एनआरआई पात्रता का दावा संरक्षक के आधार पर किया जा रहा हो।
- छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 के नियम-13 के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि लागू हो।

नोट :-

1. एनआरआई पात्रता से संबंधित समस्त मूल (Original) दस्तावेजों की स्पष्ट, पठनीय एवं रंगीन (Colour Scanned) प्रतियों को क्रमवार संलग्न करते हुए एक ही (Single) PDF फाइल में तैयार कर निर्धारित ई-मेल आईडी पर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. ब्लैक एंड व्हाइट (Black & White) स्कैन अथवा अपठनीय दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. अपूर्ण अथवा आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में एनआरआई पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


30/09/26

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा